भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2692**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-यूके एफटीए वार्ता

2692. डॉ. मल्लू रविः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-यूके एफटीए वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अनुपूरकता सुनिश्चित करने के उपाय क्या हैं; और

(ग) नवाचार क्षेत्र में अपेक्षित निवेश क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत और यूके के प्रधानमंत्रियों ने दिनांक 6 मई, 2025 को भारत-यूके एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) नेगोशिएशन्स के सफल समापन की घोषणा की थी। इस व्यापार समझौते, जिसका नाम व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता (सीईटीए) रखा गया है, पर दिनांक 24 जुलाई, 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। सीईटीए भारत से ब्रिटेन को होने वाले लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% है। इसमें वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, और खिलौने जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के साथ-साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायन और ऑटो कंपोनेंट जैसे उच्च-वृद्धि वाले क्षेत्र शामिल हैं । इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को सशक्त बनाया जाएगा। सेवा क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक मज़बूत चालक है, को भी व्यापक लाभ होगा। यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय और विधिक सेवाओं, पेशेवर और शैक्षिक सेवाओं, और डिजिटल व्यापार में बेहतर बाज़ार पहुँच प्रदान करता है। सभी सेवा क्षेत्रों में ब्रिटेन में कार्य करने के लिए कंपनियों द्वारा तैनात पेशेवरों, वास्तुकारों, इंजीनियरों,

शेफ, योग प्रशिक्षकों और संगीतकार जैसे संविदाओं पर तैनात पेशेवरों सहित भारतीय पेशेवरों को सरलीकृत वीजा प्रक्रियाओं और उदार प्रवेश श्रेणियों से लाभ होगा, जिससे ब्रिटेन में काम करना आसान हो जाएगा। भारत ने डबल कंट्रीब्यूशन समझौते पर भी एक समझौता किया है। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी। यह समझौता व्यापार को और अधिक समावेशी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। महिला और युवा उद्यमियों, किसानों, मछुआरों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक नई पहुँच प्राप्त होगी, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने, सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने वाले प्रावधानों द्वारा समर्थित है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154945&ModuleId=3. लिंक पर देखा जा सकता है। भारत ने अपनी 89.5% टैरिफ लाइनों को खोला है, जबकि डेयरी, अनाज और कुछ आवश्यक तेलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है। सीईटीए में नवाचार पर एक समर्पित अध्याय है, जिसका उद्देश्य नवाचारी प्रक्रियाओं और नवचारी उत्पादों में व्यापार को समर्थन देना है, साथ ही नवाचार पर सहयोग को और अधिक बढ़ाकर पक्षकारों के बीच आर्थिक विकास करना है।

*****